

90
72



III/नगरानी/सिंगरौली/शुभेरा/2017/2976

न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

रामबरण पुत्र हुब्लाल कुम्हार
निवासी ग्राम करुआरी तहसील व जिला
सिंगरौली म.प्र.

श्री. S. P. Sharma,
द्वारा आज दि. 28.08.17 को
प्रस्तुत

कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

— आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला
सिंगरौली

— अनावेदक

5/8/17
28-8-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय अपर कलेक्टर महो. जिला सिंगरौली के प्र.क.
52/स्व.निग./1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27.02.1999
के विरुद्ध जानकारी दिनांक से निगरानी अवधि अन्दर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य:-

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क्र. 5/1, रकवा 0.25 एकड़, 6/1 रकवा 4.75 एकड़ भूमि के संबंध में आवेदक निवासी ग्राम करुआरी तहसील व जिला सिंगरौली का कब्जा होने के कारण म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के समक्ष

(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक एम/निग०/सिंगरौली/भू.रा.०/२०१७/२९७६

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों के हस्ताक्षर
06/11/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक <u>२५/११/१८</u> को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी <u>अपर अ.जे. जिला सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>५२/र.प.न.०/१९९८-९९</u> में पारित आदेश दिनांक <u>२५.०२.१९९८</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू०राजस्व संहिता में दिनांक २५/०९/२०१८ को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४ (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२९/१५/२०१९</u> को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>सदस्य <u>६/११/१९</u></p>